



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गीरग पथ, जोधपुर



क्रमांक- 10736

दिनांक- 5/11/2020
I.B.T.(B) 60 / 2020-21

श्रीमति हंसा सूर्या पतिन श्री अरुण कुमार श्रीमति दिलीपर देवी सूर्या पतिन श्री अनिल कुमार सूर्या श्रीमति समता देवी सूर्या पतिन श्री अशोक कुमार सूर्या श्रीमति चन्दा देवी सूर्या पतिन श्री राजेन्द्र कुमार सूर्या मुख्य सं. 71, सेक्टर ई, सेक्शन 04, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

:- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रस्ताव :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2018।

उपरोक्त विषयानुसार एवं प्रसंगिक मंडित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 46 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. बालकौनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
2. पड़ोसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि चबुतरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर 4x4 के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्ष्यात्नी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की पुर्छटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मटेरियल भू-स्वाभी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- जांच शुल्क- 2,363/- भवन निर्माण शुल्क- 2,000/- ही एस्.यू.सी शुल्क- 4,985/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संधारण शुल्क- 10,946/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 6,229/- उपकर- 24,896/- कुल राशि- 53,431/- जरिये रसीद संख्या 90889/1310 दिनांक 03.11.2020 एवं सुरक्षा व अमानत राशि- 3,500/- जरिये रसीद संख्या 90889/1311 दिनांक 03.11.2020 को निगम लॉघ में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपको विरूद्ध राजस्वान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/246 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर धारा गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अक्षर दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक/आवासीय निर्माण
अनुमति निर्माण	बी+डी+एफ+1
कुल क्षेत्रफल	94.17 वर्गगज

[Signature]
उपायुक्त
जोधपुर नगर निगम, दक्षिण